

डिक्री मुकदमा इक्टदाई
(ओ. 20 रुल 6-7 जाप्ता दीवानी)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड़ (राज.)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)

बइजलास - श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

केम्प कोर्ट का स्थान - रामपुर दि. 7 मई 2018

प्रकरण संख्या - राजस्थान वाड. 68/2015

उनवान प्रकरण

मांगीलाल शंकरलाल
जारी माली दि. रामपुर

① बसन्तीलाल शंकरलाल ② लक्ष्मीनारायण शंकरलाल
ब शंकरलाल ③ लालचन्द शंकरलाल ④ लक्ष्मीनारायण शंकरलाल
ना शंकरलाल ⑤ बालाराम शंकरलाल ⑥ कोलाश-पड शंकरलाल
म शंकरलाल ⑦ जगज्जलाल शंकरलाल ⑧ हीरालाल शंकरलाल
माली दि. रामपुर ⑨ J.K.S.B झालावाड़
⑩ कार्पोरेशन केम्प झालावाड़ ⑪ राज ठाणाल

दावा धारा

53, 209 RT Act.

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफेसाल कतई रुबरु व इजिरी बन्दी मिनजामिन मुदुदई रुबरु वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत प्रकरण में वाद वादी स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री कर लक्ष्मीलाल पिडावा को जोडेशित किया जा रहा है कि गांव रामपुर की जमाबंदी सं. 2009-72 के खारा सं. 538 की धारानी किया 14 रुबरा 42-08 भाग में वादी के 1/6 हिस्से की ग्राह का कच्ची से कच्ची एवं बुरी से बुरी किला कुरुमा बंधारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करे व साथ में गवर्ना के की प्रति संलग्न करे। परकारण का बैक रहने इस वहेगा।



निज मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7.5.18 को जारी की गई।

राकेश कुमार मीना
(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज.)

मुदुदई	रुपया	पैसे	मुदायलह	रुपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		



डिक्री मुकदमा इब्त्तदाई
(ओ. 20 रूल 6-7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

(पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग शिविर 2021)

बइजलास - श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

शिविर का स्थान - राप्पुर दिनांक : 22.10.2021

प्रकरण संख्या - राजस्व वाद / 68 / 2015

उनवान प्रकरण

मांगीलाल व शंकरलाल

जाति माली नि. राप्पुर

- ब म
- 1 बसन्तलाल व शंकरलाल
 - 2 लक्ष्मीनारायण
 - 3 शंकरलाल
 - 4 लालचन्द वगन्दा
 - 5 लक्ष्मीनारायण
 - 6 नाथनन्दा
 - 7 बालीराम वगन्दा
 - 8 केलीराम वगन्दा
 - 9 नन्दा
 - 10 प्रजेगलाल वगन्दा
 - 11 हीरालाल वगन्दा
 - 12 माली राप्पुर
 - 13 GKS B झालावाड
 - 14 कार्पोरेसन झालावाड
 - 15 राज सरकार

दावा धारा 53, 209 RTI Act

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

प्रस्तुत वाद में फाईनल डिक्री कर तइतीमदार राप्पुर को
आदेशित किया जाता है कि गांव राप्पुर की जमाबंदी के

के फाता सं. 656 की आदालती फिला 14 रकबा 42-07 के मुद्दे में

में खातेदार के खाते संलग्न बंधवारा प्रस्ताव व गवशा ड्रेज

अनुसार प्रथम-प्रथम खाते दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

पश्चात्कार का बंध रहन गवाहन दर्ज रहेगा। सं. 2226 रकबा

0-01 खिचवा मुद्दे जे. मु. पाटू राप्पलाती रहेगा।



निज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.10.21 को जारी की गई।

(सन्तोष कुमार मीना)
(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
प्रशासिका झालावाड (राज)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		